राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

अतिवृष्टि एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों हेतु स्टॉक रिजर्व रखने के निर्देश

झालावाड़ 16 जून/ जिले में वर्षा एवं अतिवृष्टि की दशा में संभावित बाढ़ क्षेत्रों के लिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन एवं गेंहू का स्टॉक सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है।

जिला कलक्टर (रसद) विष्णु चरण मल्लिक ने एक आदेश जारी कर जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदार के पास एक ड्रम (220 लीटर) केरोसिन तथा प्रत्येक थोक विक्रेता के पास दो हजार लीटर केरोसिन, प्रत्येक क्रय–विक्रय सहकारी समिति (खाद्यान्न थोक विक्रेता) के पास गेंहू का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक एवं समस्त पेट्रोल पम्पों पर डेड स्टॉक के अतिरिक्त दो हजार लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल व गैस ऐजेन्सी पर 50 सिलेण्डर का स्टॉक 30 सितम्बर 2015 तक आरक्षित रखेगें।

उन्होनें बताया कि रिजर्व स्टॉक का विक्रय जिला मुख्यालय पर तहसील झालरापाटन सहित जिला रसद अधिकारी उपखण्ड स्तर पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील मुख्यालय पर तहसीलदारों निर्देशानुसार विक्रय किया जायेगा। विक्रय स्टॉक की पूर्ति आगामी सप्लाई में से कम की जाकर स्टॉक संधारित किया जायेगा।

जिला कलक्टर ने बताया कि सभी क्रय–विक्रय सहकारी समिति, केरोसिन थोक विक्रेता, समस्त पेट्रोल पम्प डीलर, रसोई गैस ऐजेन्सी एवं समस्त उचित मूल्य दुकानदार नियमित रूप से आपूर्ति बनाये रखेगें तथा थोक विक्रेता संबंधित तेल कम्पनियों के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखेंगें। आदेशों की पालना न करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।

----

1 जुलाई से प्रदुषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य

झालावाड़ 16 जून/ जिले में एक जुलाई से कोई भी वाहन वैध प्रदुषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र के बिना संचालित नहीं होगा। इस संबंध में पेट्रोल पम्प संचालक एवं किसान सेवा केन्द्रों के प्रोपराईटर की गत सप्ताह एक संयुक्त बैठक आयोजित कर सभी वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से वैध प्रदुषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र लेने के संबंध में जानकारी दी गई।

जिला रसद अधिकारी भवानी सिंह पालावत ने बताया कि जिला परिवहन अधिकारी दिनेश सिंह सागर द्वारा जिले के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को अवगत कराया गया है कि सभी पेट्रोल, डीजल भराने वाले वाहनों में 1 जुलाई से बिना वाहन वैध प्रदुषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र के पेट्रोल, डीजल नहीं भरा जायेगा व सभी पेट्रोल पम्प संचालक डीजल, पेट्रोल भराने वाले वाहन चालकों को उक्त आदेश की क्रियान्विति हेतु पम्पलेट छपवाकर वाहन चालकों को प्रचार–प्रसार हेतु उपलब्ध करवायें।

उन्होंने बताया कि पेट्रोल पम्प पर सभी को दिखाई देने वाले स्थान पर उचित साईज का बैनर लगाया जाये जिस पर यह लिखा हो कि "एक जुलाई से कोई भी वाहन वैध प्रदुषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना संचालित नहीं होगा। अतः सभी वाहन चालकों को वाहन वैध प्रदुषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है" अन्यथा परिवहन विभाग एवं ट्रेफिक पुलिस द्वारा पेट्रोल–डीजल पोल्युशन प्रमाण पत्र नहीं होने पर वाहन मालिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

लोक अदालत वाहन के माध्यम से विवादों का होगा निस्तारण

झालावाड़ 16 जून/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये सचल विधिक सेवा केन्द्र एवं लोक अदालत वाहन को मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधिश छगन लाल गुप्ता ने हरी झण्डी दिखाकर असनावर के लिए रवाना किया।

पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ ने बताया कि सचल विधिक सेवा केन्द्र एवं लोक अदालत वाहन झालावाड़ न्याय क्षेत्र में 16 जून से 5 जुलाई तक उपलब्ध रहेगा। यह वाहन 17 जून को चौमहला, 18 को उन्हैल नागेश्वर, 19 को डग, पगारिया एवं मिश्रोली, 20 से 22 तक भवानीमण्डी क्षेत्र में, 23 को सुनेल, 24 व 25 को पिड़ावा न्याय क्षेत्र में, 26 को झालावाड़ मुख्यालय, 27 को बकानी, 28 को मनोहरथाना, 29 व 30 जून को अकलेरा न्याय क्षेत्र में रहेगा।

इसी प्रकार 1 जुलाई को ग्राम न्यायालय झालरापाटन, 2 को झालावाड़ मुख्यालय व 3 व 4 जुलाई को खानपुर न्याय क्षेत्र में उपलब्ध रहेगा। उन्होंनें बताया कि उक्त वाहन का मुख्य उद्देश्य लोगों को विधिक जागृति पैदा करना एवं लोक अदालत के माध्यम से आमजन को अधिकाधिक लाभ उपलब्ध करवाना एवं विवादों का निस्तारण करना है।